विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(158)RSSB/अर्थना/क.त.स./ले.सा./ भर्ती/2024/ **दिनांक :**

विज्ञापन सं. 21/2024

संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती–2024

महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग के लिये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 यथा संशोधित के अन्तर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र मे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तो एवं निर्बन्धनों के अध्याधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र. सं.	विभाग का नाम	भर्ती सेवा नियम/उपविधियॉं जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग	राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 यथा संशोधित	संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक	2021	179	2200
2.			संविदा लेखा सहायक	316	84	400
			कुल योग	**2337**	**263**	**2600**

Join Telegram Group "HaryanaJobs.in"

विशेष नोट :–

1. उपरोक्त संविदा के पदों के लिये योग्य अभ्यर्थियों द्वारा अलग–अलग आवेदन करना होगा।
2. उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार यह पद केवल एक वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
3. सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त पदों को बढ़ाना, घटाना या निरस्त करना/प्रत्याहारित करने का अधिकार होगा और इन पदों के नियम एवं शर्तों को संशोधन करने का अधिकार होगा।
4. सक्षम प्राधिकारी के पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. अभ्यर्थी किसी भी राजकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए या उसे राजकीय सेवा से अनुशासनात्मक आधार पर सेवा से पृथक किया हुआ नहीं होना चाहिए।
6. ऐसे अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होगें जिन्हें अनैतिक आचरण के किसी भी मामले में दोष सिद्ध पाया गया हो।

RajKaj Ref 12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

7. विज्ञापन में दर्शायी गयी शर्तें और कार्य का विवरण प्रतिकात्मक है और सक्षम प्राधिकारी को कार्यक्रम के हित में इस में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार होगा।
8. इस विज्ञापन या इसमें वर्णित शर्तों में कोई परिवर्तन या अद्यतन करने की सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।
9. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण **आवेदन के सुधार के कम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।**

1. <u>ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया</u>:—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हे राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया निम्नानुसार होगी :–

1. ऑनलाईन आवेदन करन` के लिए अभ्यर्थियों का` बोर्ड क` ऑनलाईन पोर्टल http://rssb.rajasthan.gov.in पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.inसे Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration)का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH))श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगें। **अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration)प्रक्रिया को सावधानी से भरें।** OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। **आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है।आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में दृश्य चिन्ह (visible mark) भरना अनिवार्य है।** भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :–

i. आधार कार्ड आधारित सत्यापनः–

- यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration)जेनरेट करता है, तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि OTR (One Time Registration)SSO/जन–आधार के माध्यम से जेनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा: –

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जावेगा।

ii. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेगा :–

I. **मूल प्रमाण पत्र विकल्पः–** अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा उसके पश्चात् Fetch बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल/बोनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।

II. **डिजिलॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प :–** अभ्यर्थी अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नम्बर व जिस वर्ष में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा।

III. **यदि** अभ्यर्थी **उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगीः–**"मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मै परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगां/होऊँगी"।

उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाऐं, प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाऐं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। **ई–मित्र संचालक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे** अभ्यर्थी **की गलती ही माना जावेगा।** आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

2. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।

3. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

4. अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई–मेल आई.डी. दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई. डी. पर ही भेजी जाती है। **आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।**

5. **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID)अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।**

6. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे। ई–मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

8. **अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करवा सकते है। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निः शुल्क सुविधा है।**

9. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र होगा।

10. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट http://rssb.rajasthan.gov.in **के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।**

2. <u>एकबारीय पंजीयन शुल्क</u>:—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क **राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —**रूपये 600/—**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित
वर्ग/अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —**रूपये 400/—**

(ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु —**रूपये 400/—**

नोट:—

1. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।
2. पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

3<u>. संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है</u>:—

1. <u>संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायकः—</u>

(क)गैर <u>अनुसूचित क्षेत्र</u>—

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता
2021	512	147	58	14	224	64	25	06	168	49	19	04	294	85	33	08	70	20	08	02	142	40	16	04	07	02	00	00

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)										
	दिव्यांगजन			भूतपूर्व सैनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	I.D,M.I,S.L.D& AUTISM	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
21	20	20	20	91	41	30	53	13	25	40

(ख)अनुसूचित क्षेत्र–

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
179	42	12	05	01	07	02	00	00	77	22	09	02

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)							
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक			उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	I.D,M.I,S.L.D & AUTISM	GEN	SC	ST	
02	02	02	01	11	1	10	04

2. <u>संविदा लेखा सहायक</u>

(क)गैर अनुसूचित क्षेत्र–

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
316	82	24	09	02	35	10	04	01	26	08	03	00	46	13	05	01	11	03	01	00	22	07	02	00	01	00	00	00

RajKaj Ref
12373314

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)										
	दिव्यांगजन			भूतपूर्व सैनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	I.D,M.I,S.L.D& AUTISM	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
03	03	03	03	14	06	05	08	02	04	06

(ख) अनुसूचित क्षेत्र–

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
84	21	07	02	00	03	01	00	00	35	10	04	01

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)							
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक			उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	I.D,M.I,S.L.D & AUTISM	GEN	SC	ST	
01	01	01	00	05	1	04	01

नोटः–

1. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जावेगा।
2. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण **क्षैतिज** (Horizontal) होगा।
4. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढोतरी** करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

RajKaj Ref 12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

<u>विशेष प्रावधान/सूचनाः–</u>

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियो को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
2. कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रेषित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।

   परन्तु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्तियॉ पश्चात्‌वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
3. राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
4. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक हैं, पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा।

   <u>स्पष्टीकरण</u>:– विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतू अमान्य होगा।
5. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिये पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। **पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियॉं उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियॉं आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।**
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.विशेष अपील (रिट्स) संख्या 1116/2018 में

RajKaj Ref 12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

7. **अति पिछडा वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

8. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

9. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्व चयन हेतु **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक/अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**

10. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

11. **बारां जिले की सहरिया आदिम जाति** के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बारां जिले में सहरिया जाति के लिये निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।

12. <u>भूतपूर्व सैनिकों हेतु</u> :–

(क) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :–

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र ''अच्छा'' श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे पश्चातवर्ती नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

- भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिये रिक्तियो का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (क्षैतिज) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रकिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यपगत हो जायेगी।** भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8(

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

कार्मिक/क–2/84 पार्ट–II दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगें।

- **कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) डीओपी/ए–II/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।**
- 'कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।"
- **"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।";**
- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रकिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रेषित की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।
- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नही समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरों के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/बचन बंधपत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नही किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नही किया जायेगा।

Signature valid
RajKaj Ref 12373314
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

13. **<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः</u>— उत्कृष्ट खिलाडियों की पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21–11–2019 के अनुसार नीचे दी गयी तालिका में वर्णित योग्यता रखता हो। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त वर्णित योग्यता से इतर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

<u>उत्कृष्ट खिलाडी सम्बन्धी प्रावधान</u>:—कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21–11–2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाडी' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंनेः—

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क.सं. **1**	**अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था** **2**	**टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम** **3**
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा

RajKaj Ref 12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।''

नोटः– कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जान–बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। **उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।**

14. <u>दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये</u> :–

a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अर्न्तगत निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ देय है :–
   i. B/LV (Blindness/ Low vision)
   ii. HI(Hearing Impairment)
   iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
   iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
   v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities.

b. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

d. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। **दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

e. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

f. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम–2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।";

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :–

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर उपरोक्त विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक (क–2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट–3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही आनलाईन आवेदन भरते समय अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में सही प्रविष्टि करें।

नोटः–अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण–पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर–अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

5. <u>मानदेयः</u>– संविदा **संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक के पद हेतु** 16900/–(संविदा पारिश्रमिक)देय होगा। मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार परिवर्तनीय होगा।

6.<u>पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः</u>–

1. **संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद हेतु :–**

   Degree B.E./B.Tech or diploma in civil engineering or degree in B.E./B.Tech in Agricultural Engineering from a University established by law in India.

2. **संविदा लेखा सहायक पद हेतु :–**

   1. Graduation form any University established by law in India or a College affiliated thereto.

   And

   2. "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under the control of Department of Electronics, Government of India. OR Computer Operator and Programming Assistant (COPA)/ Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate conducted under National State Council of Vocational Training Scheme. OR Diploma in Computer Science/ Computer Applications from a University established by law in India or an Institution recognized by the Government. OR Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic Institution recognized by the Government. OR Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS&CIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under the control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

   नोटः–शैक्षिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।

<u>अन्य योग्यताऐं</u> :–

(1) **स्वास्थ्यः**– उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पदके रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र** :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे वि[illegible]

RajKaj Ref
12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

7. <u>राष्ट्रीयता</u> :–

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो। परन्तु शर्त यह है कि बिन्दु संख्या 7(1) में उल्लिखित वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ड.) प्रवर्गो का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण–पत्र दे दिया हो।
ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामलें में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, बोर्ड या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

2. **अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें:–**इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होगें जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

8. <u>आयु</u>:– आवेदक 1, जनवरी 2026 को **राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 यथा संशोधित** के वर्णित प्रावधानों के अनुसार 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अत : आवेदकों की आयु की गणना 01.01.2026 से की जावेगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:–

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :–
(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है यहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी।
स्पष्टीकरण कामिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.20[illegible] के अनुसार राजस्थान [illegible] सेवा

RajKajRef
12372314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

(भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है. वह भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा।

3. विधवाओं और विवाह–विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

<u>स्पष्टीकरणः</u>– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम–2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>नोटः</u>–

(क) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 03 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 03 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(ख) राजस्थान सेवा के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिये नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.<u>पेंशनः</u>– राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 यथा संशोधित के अन्तर्गत संविदा कर्मी को पेंशन के परिलाभ देय होगें।

10.<u>विवाह पंजीयन</u>ः–शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11.<u>पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः</u>–

(क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration)का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 06.02. 2025 को रात्रि 23.59 बजे** तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 06.02.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक** बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

12. <u>परीक्षा आयोजन</u> :–

1. बोर्ड द्वारा संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18.05.2025 एवं संविदा लेखा सहायक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 16.06.2025 को **<u>कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)/टेबलेट आधारित परीक्षा (TBT)/ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा</u>** आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है।
2. बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जावेगा तो उसमें सामान्यकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

13.<u>प्रवेश पत्रः</u>–बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश–पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना

RajKaj Ref 12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

प्रवेश–पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र कमांक** एवं SSO ID ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई–मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाईल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

14.<u>नियुक्ति की अयोग्यताऐं</u> :–

(1)किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष सेविवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दीजा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्रनहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

(4) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी. जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु

i. दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।

ii. जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

iii. किसी अभ्यर्थी की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

iv. कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

v. इस उप–नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

15.<u>आवेदन कैसे करे:–</u>

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

<u>कृपया ध्यान दे:–</u>

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो का Online Application Form प्रस्तुत(Submit)करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
5. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
6. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई हैं अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
7. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाईट http://rssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
8. **<u>फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश</u>**

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

<u>फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–</u>

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. **आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 01 माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए।** मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

9. <u>हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश :–</u>

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

<u>विशेष टिप्पणी:–</u>

1. **परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/– रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रकिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।**
2. **परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें।**
3. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो**

RajKaj Ref
12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

(01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई–प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।

4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट http://rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।

16.ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रकिया:–बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर फेच का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने है तो पहले उसे OTR पेज पर आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह वांछित संशोधन कर सकता है।ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **फोटो, हस्ताक्षर** एवं **उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है**। शेष सूचनाओं में वह **संशोधन निम्नानुसार कर सकता है**:–

i. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/– रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी **फोटो, हस्ताक्षर** एवं **उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है** यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि,लिंग इत्यादि।शेष प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। <u>शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 07 दिवस में ही संशोधन कर सकते है।</u> इसके पश्चात् शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम, रोल नं., उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन के लिये **One Time Registration (OTR) में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एकबारीय संशोधन की अनुमति दी गयी है।** सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर लेवें। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले, OTR पेज पर की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

के ऑनलाईन आवेदन में ऑनलाईन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

ii. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक ओर अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/– रूपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा।

iii. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

17.<u>ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया</u>:–बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऑनलाईन संशोधन करवाये जाने के पश्चात आगामी 07 दिवस के भीतर SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recuitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेगें।विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

18.<u>श्रुत लेखन की सुविधा</u>:–सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्पदृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या अंगुलियां नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगें, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम 02दिवस पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी। साथ ही बोर्ड की वेबसाईट पर जारी श्रुतलेखक के लिये दिशा–निर्देशों का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

19.<u>अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :–</u>

i. कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समूचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।

ii. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय [illegible]**

RajKaj Ref
12373314

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरें।

iii. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।

iv. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

v. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र. आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। **अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जावेंगा।**

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोडा गया है:–

"यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ–पत्र लिखा जावें कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।"

vi. **जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधिः– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण–पत्र दिशा–निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :–**

  i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नही होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

  ii. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता हैं।

  iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछडा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

vii. अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन पदों के लिये आरक्षित [illegible] का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर

RajKaj Ref
12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhagu Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

ix. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11()/आ.क. व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificateजारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ–पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificateको ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

x. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

xi. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

xii. उत्कृष्ट खिलाडियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।

xiii. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

xiv. परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

xv. शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह–पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध मे विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।

xvi. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यकता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नही किये जाने संबंधी या परित्यकता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

xvii. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

xviii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरूद्व ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नही होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति मे बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्व होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

प(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

xix. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

xx. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नही होगा।

xxi. आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

20. **<u>आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम</u>**:–आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। **परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न–पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं।**
परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

21. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रमः–

1. संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायकः–

कम संख्या	विषय	अधिकतम अंक	समय
1	सामान्य ज्ञान (राजस्थान के संदर्भ में)	24	3.00 घण्टे
2	दैनिक विज्ञान	24	
3	गणित	26	
4	कम्प्यूटर के मूल सिद्वान्त	26	
5	Bulding Technology, Construction Technology and Construction Management	30	
6	Fluid Mechanics	30	
7	Survying, Estimating, Costing & Field Engineering	30	
8	Irrigation & Water Resources	30	
9	Theory of Stuctures and Strength of Materials	30	
10	Soil Menchanics and Foundations Engineering	30	
11	Design of R.C. Concrete and Masonry Structures and Structural Analysis, Design of Steel Structures	30	
12	Auto Cad Civil Engineering Drawing	30	
13	Soil and Water Conservation	30	
14	Farm Power and Machinery	10	
15	Agriculture Processing	10	
16	Renewable Energy Sources	10	
17	योग	400	

नोटः–

1. प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 200 प्रश्न होगें तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होगें।
2. परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत है। अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 35 प्रतिशत है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।
3. किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का एक–तिहाई(1/3) अंक काटा जावेगा।

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

पाठ्यक्रम (Syllabus)

भाग–अ

सामान्य ज्ञान

राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत
1. राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्त्रोत
2. राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यतायें
3. राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां
4. मुगल– राजपूत संबंध
5. स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताऐं
6. महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाऐं
7. राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी–देवता
8. राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाऐं, शैलियां एवं हस्तशिल्प
9. राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षैत्रीय बोलियां
10. मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्ययंत्र एवं आभूषण
11. राजस्थानी संस्कृति, परम्पराएं एवं विरासत
12. महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल
13. राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
14. राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधिया, 1857 का जन– आंदोलन
15. कृषक एवं जन– जाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन
16. राजस्थान का एकीकरण
17. राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास– महिलाओं के विशेष संदर्भ में
राजस्थान का भूगोल
1. स्थिति एवं विस्तार
2. मुख्य भौतिक विभागः– मरूस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश
3. अपवाह तंत्र
4. जलवायु
5. मृदा
6. प्राकृतिक वनस्पति
7. वन एवं वन्य जीव संरक्षण
8. पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे
9. मरूस्थलीकरण
10. कृषि– जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

11. पशुधन
12. बहुउद्देशीय परियोजनाऐं
13. सिंचाई परियोजनाऐं
14. जल संरक्षण
15. परिवहन
16. खनिज सम्पदाऐं

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

1 भारत का संविधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग।

2 लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार–पत्र

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1 अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य।
2 कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे।
3 संवृद्धि, विकास एवं आयोजना।
4 आधारभूत–संरचना एवं संसाधन।
5 प्रमुख विकास परियोजनाएँ।

समसामयिक घटनाएँ

1 राजस्थान राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएँ एवं मुद्दे।
2 वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान।
3 खेल एवं खेलकूद गतिविधियाँ।

नरेगा अधिनियम तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की योजनाऐं

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान के तहत संचालित योजनाओं का सामान्य ज्ञान

दैनिक विज्ञान (Every Day Science)

1 Physical and chemical reactions, oxidation and reduction reactions, metals and non – metals. Hydro – carbons, Chloro – Fluro Carbon (CFC) Compressed Natural Gas (CNG), Soap and Detergent Pesticides, Reflection of light and its laws, examples of refraction, types of Lenses, Defects of vision and their corrections.

2 Electric current, Unit of electric current, Electric cell, Electric generator, Electric connection arrangement in house. Working of house hold electrical appliances. Uses of space science, Remote Sensing Technique and its uses. Information

RajKaj Ref 12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

Technology.

3 Environment – Components (Atmosphere, Lithosphere and Hydrosphere), Ecosystem – structure. Food – chain, Food – web, Nitrogen cycle. General information about – Bio – technology, Bio – patents, Stem cell, Cloning, Test Tube baby, Artificial insemination.

4 Apiculture, Seri – Culture, Fishery, Poultry, Dairy industry, Cereals, Pulses, Vegetables, Fruits, Medicinal Plants. Blood group, Blood transfusion, Rh factor, Pollution and human health, Pathogen &human health, Intoxicant and human health, Mal – nutrition &human health.

5 Immunity, Vaccination, Types of diseases, Hereditary disease – Hemophilia Color blindness, Thalasemia, National Health Programme, Manures – Bio – manure, Vermi compost. Crop rotation, Plant disease control.

गणित (Mathematics)

1 Natural numbers, rational and irrational numbers and their decimal expansions, operations on real numbers, laws of exponents for real numbers, rational numbers and their decimal expansions.

2 Ratio and proportion, percentage, Profit and loss, simple and compound interest, time and distance, time and speed, work and time.

3 Collection of data, presentation of data, graphical representation of data, measure of central tendency, mean, mode, median of ungrouped & grouped data.

कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त (Basics of Computer)

1 **Introduction to Computer & Windows:** Input/output Devices, Memory PORTs, Windows Explorer Menu, Managing Files & Folders, Setup & Accessories, Formatting, Creating CD/DVD.

2 **Word Processing & Presentations:** Menu Bars, Managing Documents & Presentations, Text Formatting, Table Manipulations, Slide Designs, Animations, Page Layout, Printing.

3 **Spread Sheets:** Excel Menu Bar, Entering Data, Basic Formula`& Inbuilt Functions, Cell & Text Formatting, Navigating, Charts, Page Setup, Printing, Spread Sheets for Accounting.

4 **Working with Internet and e–mails:** Web Browsing & Searching, Downloading & Uploading, Managing an E – mail Account, e – Banking

RajKaj Ref
12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

भाग–ब

1. Building Technology And Construction Management

Building Materials: stones, bricks, steel, Timber, lime, cement, sand, aggregates for cement concrete, paints, distempers, use of pozzolana manufacturing of lime concrete, cement concrete for plain, reinforced and pre-stressed concrete work.

Road Materials: Coarse aggregate, screenings and binding materials for WBM, Bricks for soling, Coarse and fine aggregate for bituminous roads, IRC standard size aggregates, Tars and Asphalt, Asphaltic concrete, Asphaltic emulsions, Mastic Asphalt and Minerals fillers

Construction Management: Plants and equipments, planning for construction using network analysis CPM and PERT techniques

2. Fluid Mechanics

Fluids: Definition, Ideal fluids, real fluids, Newtonian and Non-Newtonian fluids.

Properties of Fluids: Units of measurement, Mass density, Specific weight, Specific volume, Specific Gravity, Viscosity, Surface tension and Capillarity, Compressibility and Elasticity.

Hydrostatics: Pressure at a point in a static fluid; pressure variation in an incompressible static fluid; atmospheric pressure, Gauge pressure, vacuum pressure, absolute pressure, Manometers Bourdon pressure gauge.

Buoyancy: Forces acting on immersed plane surface. Centre of pressure, forces on curved surfaces. Conditions of equilibrium for floating bodies, meta-center and met centric height experimental and analytical determination of met centric height.

Equilibrium of Fluid particles and flow: Fluid mass subjected to horizontal and vertical acceleration and uniform rotation.

Hydro-kinematics: Types of Flows: Steady and unsteady, uniform and non-uniform, stream lines, path lines, stream tubes, principles of conservation of mass, equation of continuity, acceleration of fluid particles local and connective, Rotational and irrotational motions, free and forced vortex, circulation and vorticity velocity potential and str

RajKaj Ref
12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

function, elementary treatment of flow net. Euler's equations of motion and integration of Euler's equations, Bernoulli's equation for incompressible Fluids, assumptions in Bernoulli's equation, Energy correction factor.

Applications of Bernoulli's equation: Pitot tube, Venturi meter, orifice meter, orifices & mouth pieces, time of emptying of tanks by orifices, sharp edged rectangular, triangular and trapezoidal notches, Francis formula. Velocity of approach. End contractions Cipoletti Weir, time of emptying reservoirs by weirs.

Momentum Equation and its Application: Development of momentum equation by control volume concept, Momentum correction factor, applications-Borda's mouth pieces, sudden enlargement of flow, pressure on flat plates, Nozzles.

Flow Through Pipes: Laminar flow, Reynolds experiment, transition from laminar to turbulent flow. Turbulent Flow: Laws of fluid friction, friction factor Moodys diagram, loss of head due to friction and other causes. Hydraulic gradient, total energy line Chezy's, Darcy's and Manning's formula, flow through parallel pipes and pipes in series, flow through branched pipes. Flow along a bypass. Power transmission through pipe, condition for maximum power. Elementary water hammer concept,

3. **Surveying, Estimating, Costing & Field Engineering**

Introduction: Importance of surveying to engineers, Plane and geodetic surveying, methods of location of points, principle of surveying from whole to part, conventional signs.

Measurement of Distances: Different types of chains, tapes and their uses. Sources of error and precautions, corrections to tape measurements. Field problems in distance measurement. Advance techniques of distance measurement.

Measurement of Angles & Direction: Different types of direction measuring instruments and their uses. Reference meridians, Bearing and azimuths, magnetic declination and its variation. Use and adjustment of surveyors and prismatic compass.

Venire and micro optic theodolite, temporary and permanent adjustment of venire theodolite Measurement of horizontal and vertical angle by different methods. Application of theodolite in field problems-

Traversing: Different methods of traversing; chain traverse, chain & compass traverse, transit-tape traverse. Methods of computations and adjustment of traverse; transit rule, Bowditch rule, graphical method, axis method. Gales traverse table.

Leveling: Definitions of various terms in leveling. Different types of leveling, sources of error sin leveling curvature and refraction corrections. Temporary and permanent

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

adjustment of dumpy and tilting levels. Computation and adjustment of level. Profile leveling L-Section and cross-sections.

Plane Table Surveying: Elements of plane table survey working operations, methods of plane table survey; inter section, traversing and resection, two point and three point problems

Contouring: Characteristics of contours, contour interval, contour gradient, Methods of locatingcontours, uses of contour maps.

Trigonometric Leveling: Trigonometric leveling, Objects accessible and non-accessible,

Determination of levels object- when.

Field Astronomy: Definitions of terminology used in Astronomy,Introduction to Remote Sensing and GIS Estimation for quantities for various types of construction, Rate Analysis, Preparation of Tender & contract documents, Centre-line diagram, Building layout.

4. **Irrigation & Water Resources**

Definition, necessity, benefits, types and methods of irrigation, Hydrology-Measurement of rainfall, run off coefficient, rain gauge, losses from precipitation evaporation, infiltration, etc. Water requirement of crops, duty, delta and base period, Kharif and Rabi Crops, Command area, Time factor, Crop ratio, Overlap allowance, Irrigation efficiencies. Different type of canals, types of canal irrigation, loss of water in canals. Canal lining-types and advantages. Shallow and deep to wells, yield from a well. Weir and barrage, Failure of weirs and permeable foundation, Silt and Scour, Kennedy's theory of critical velocity. Lacey's theory of uniform flow. Definition of flood, causes and effects, methods of flood control, water logging, preventive measure. Land reclamation, Characteristics of affecting fertility of soils, purposes, methods, description of land and reclamation processes. Major irrigation projects in India.

Soil-Water-Plant relationship, water requirements of different crops irrigation scheduling, measurement of irrigation water. Water conveyance and control, data of field channels. Design of irrigation methods, irrigation efficiencies. Drainage: Benefits drainage, surface drainage, drainage of flat and slopping lands. Design and layout of surface and sub surface drainage, depth and spacing of drains, installation of drains and drains walls, Types of aquifer, well log, groundwater prospects and water lifting devices. Water Resources Development and Management: water resources of India, surface water

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

groundwater, development of irrigation potential, canal irrigation, command development, on farm development works.

5. **Theory of Structures and Strength of Materials**

Elasticity constants, types of beams - determinate and indeterminate, bending moment and shear force diagrams of simply supported, cantilever and over hanging beams. Moment of area and moment of inertia for rectangular & circular sections, Bending moment and shear stress for tee, channel and compound sections, chimneys, dams and retaining walls, Eccentric loads, slope deflection of simply supported and cantilever beams, critical load and columns. Torsion of circular section. Springs, Vibration.

6. **Structural Analysis**

Introduction to Indeterminate structures, Degrees of freedom per node, Static and Kinematic indeterminacy (i.e. for beams, frames & portal with & without sway etc.), Releases in structures, Maxwell's reciprocal theorem and Betti's theorem, Analysis of statically indeterminate structures using slope - deflection method. Analysis of structures using moment - distribution method applied to continuous beams and portal frames with and without inclined members. Unit load method and their applications: deflection of determinate beams and frames, analysis of determinate and redundant frames upto two degree of redundancy, lac of fit in redundant frames.

7. **Soil Mechanics and Foundations Engineering**

Origin of soil, phase diagram, Definitions-void ratio, porosity, degree of saturation, water content, specific gravity of soil grains, unit weights, density index and interrelationship of different parameters, Grain size distribution curves and their uses.

Index properties of soils, Atterberg's limits, ISI soil classification and plasticity chart. Permeability of soil, coefficient of permeability. determination of coefficient of permeability, Unconfined and confined aquifers, effective stress, quick sand, consolidation of soils, Principles of consolidation, degree of consolidation, pre-consolidationpressure, normally consolidated soil, e-log p curve, computation of ultimate settlement.

Shear strength of soils, direct shear test, Vane shear test, Triaxial test, Soil compaction, Laboratory compaction test,Maximum dry density and optimum moisture content, Soil

RajRajRef
12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

pressure theories, active and passive earth pressures, bearing capacity of soils, plate load test, standard penetration test.

8. **Design of R.C. Concrete and Masonry Structures**

RCC beams- flexural strength, shear strength, bond strength, design of singly reinforced and double reinforced beams, cantilever beams, T-beams, lintels, one way and two way slabs, isolated footings. Reinforced brick works, columns, staircases, retaining wall, water tanks (RCC design questions may be based on both limit State and working stress methods).
Concrete Technology : Properties, Advantages and uses of Concrete, Cement Aggregates, importance of water quality, water cement ratio, workability, mix design, storage, batching, mixing , placement, compaction, finishing and curing of concrete, quality control of concrete, hot weather and cold weather concreting, repair and maintenance of concrete structures.

9. **Design of Steel Structures**
Steel design : Steel design and constructions of steel columns, beams roof trusses plate girders.

10. **Construction Technology**

Stone and Brick Masonry: Ashlar, course and random rubble, stone pillar, dry stone and arch masonry, brick bonds and type of walls.

Lintels: Plastering, pointing, flooring, Expansion and construction joints; Centering and shuttering. General Selection criteria of site, Planning and orientation of buildings.

Roofing: Stone slab, RCC, G.C. Steel, Asbestos cement and jack arch roofing.

Flooring: Cement concrete, flag stone, terrazzo mosaic, Terrazzo tile, Brick on edge, timber Granolithic, linoleum and other floorings.

Plastering: Lime, cement sand, composite and rough coat plaster, Plaster of Paris, painting, Damp proof course, anti-termite treatment.

Centering and Shuttering: Centering form work, shuttering and moulds, timber & steel trestles andfalse work, scaffolding and shoring, under pinning.

11. **Auto Cad Civil Engineering Drawing**

12. **Soil and Water Conservation:**

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

Precipitation, hydrologic cycle, runoff measure prediction of peak rate of runoff, factors affecting runoff, hydrograph, Erosion-type factors associated with erosion, assessment of actual annual soil loss by erosion a Impact on agricultural production and productivity. Water erosion control measures, vegetation in soil and water conservation, grass waterways and design. Design of control measures Including permanent structures, stream bank erosion, mechanics of water erosion, wind erosion control, water harvesting structures i.e. Farm Ponds, Tanka, Nadi and Anicut.

Watershed: definition, concept and objectives, water management. Surveying instruments and their uses in watershed planning and executions.

13. **Farm Power and Machinery:**

Primary and secondary tillage machinery, their select operation, field capacity and efficiency. Machinery for sowing and intercultural operations. Power operated grains harvesting and threshing machinery, Farm tractors, Introduction different systems of tractors and their maintenance.

14. **Agricultural Processing:**

Mass and energy balance in food engineering, size reduction material handling and separation equipments. Principles of drying and drying equipments. Use of Psychrometric chart. Processing of milk, dairy equipments. Storage of grains a principles of food preservation. Rice and Pulse milling

15. **Renewable Energy Sources:**

Energy consumption pattern and energy resources, non conventional energy sources viz, solar thermal, solar photovoltaic, bio-energy resources and utilization, selection of biogas plant (site size and type), Improved biomass, cookstoves, wind energy, present status and potential of renewable energy sources in Rajasthan state.

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

2.संविदा लेखा सहायकः–

परीक्षा की स्कीम

क.सं.	विषय	अधिकतम अंक	समय
1.	हिन्दी	24	3:00 घण्टे
2.	अंग्रेजी	24	
3.	सामान्य ज्ञान ;राजस्थान के संदर्भ मेंद्ध	26	
4.	दैनिक विज्ञान	26	
5.	गणित	30	
6.	कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त	30	
7.	बही खाता (बुक कीपिंग) एवं लेखा कर्म	40	
8.	व्यवसाय पद्धति	30	
9.	लेखा परीक्षा	40	
10.	भारतीय अर्थशास्त्र	30	
11.	रा.से.नि. खण्ड-1 (अध्याय 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 एवं 16) Rajasthan Civil Service Joining Times Rules 1981.	40	
12.	सा.वि.ले.नि. खण्ड-1 (अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 एवं 17)	40	
13.	RTPP Act-2012 and RTTP Rules 2013	20	
14.	योग	400	

नोटः–

1. प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 200 प्रश्न होगें तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होगें।
2. परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत है। अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 35 प्रतिशत है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।
3. किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का एक–तिहाई(1/3) अंक काटा जावेगा।

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

पाठ्यक्रम (Syllabus)

1. हिन्दी (Hindi)
1. संधि और संधि विच्छेद। 2. सामासिक पदों की रचना और समास–विग्रह। 3. उपसर्ग। 4. प्रत्यय। 5. पर्यायवाची शब्द। 6. विपरीतार्थक (विलोम) शब्द। 7. अनेकार्थक शब्द। 8. शब्द युग्म। 9. संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। 10. शब्द शुद्धिः अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण। 11. वाक्य शुद्धिः अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। 12. वाच्यः कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग। 13. क्रियाः सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएँ। 14. वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। 15. मुहावरे और लोकोक्तियाँ। 16. अंग्रजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द। 17. सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिन्दी में रूपान्तरण और हिन्दी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपान्तरण। 18. कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान।
2. अंग्रेजी (English)
1 Tenses/Sequence of Tenses. 2 Voice: Active and Passive. 3 Narration: Direct and Indirect. 4 Transformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and vice-versa. 5 Use of Articles and Determiners. 6 Use of Prepositions. 7 Translation of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and vice-versa. 8 Correction of sentences including subject, Verb, Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used. 9 Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions.) 10 Synonyms. 11 Antonyms. 12 One word substitution. 13 Forming new words by using prefixes and suffixes.

RajKaj Ref 12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

14	Confusable words.
15	Comprehension of a given passage.
16	Knowledge of writing letters: Official, Demi Official, Circulars and Notices, Tenders.

3. सामान्य ज्ञान (राजस्थान के संदर्भ में)

राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत	
1.	राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्त्रोत
2.	राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यतायें
3.	राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां
4.	मुगल– राजपूत संबंध
5.	स्थापतय कला की प्रमुख विशेषताऐं
6.	महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाऐं
7.	राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी–देवता
8.	राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाऐं, शैलियां एवं हस्तशिल्प
9.	राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षैत्रीय बोलियां
10.	मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्ययंत्र एवं आभूषण
11.	राजस्थानी संस्कृति, परम्पराएं एवं विरासत
12.	महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल
13.	राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
14.	राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधिया, 1857 का जन– आंदोलन
15.	कृषक एवं जन– जाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन
16.	राजस्थान का एकीकरण
17.	राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण, एवं विकास– महिलाओं के विशेष संदर्भ में
राजस्थान का भूगोल	
1.	स्थिति एवं विस्तार
2.	मुख्य भौतिक विभागः– मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश
3.	अपवाह तंत्र
4.	जलवायु
5.	मृदा
6.	प्राकृतिक वनस्पति
7.	वन एवं वन्य जीव संरक्षण
8.	पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे
9.	मरूस्थलीकरण
10.	कृषि– जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें
11.	पशुधन
12.	बहुउद्देशीय परियोजनाऐं

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

13. सिंचाई परियोजनाऐं
14. जल संरक्षण
15. परिवहन
16. खनिज सम्पदाऐं

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

1. भारत का संविधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग।
2. लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार–पत्र

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1. अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य।
2. कृषि, उद्योग व रोवा क्षेत्र के प्रगुख गुदे।
3. संवृद्धि, विकास एवं आयोजना।
4. आधारभूत–संरचना एवं संसाधन।
5. प्रमुख विकास परियोजनाएँ।

समसामयिक घटनाएँ

1. राजस्थान राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएँ एवं मुद्दे।
2. वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान।
3. खेल एवं खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियाँ।

नरेगा अधिनियम एंव विभागीय योजनाऐं

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान के तहत संचालित केन्द्र/राज्य परिवर्तित योजनाओं का सामान्य ज्ञान

4. दैनिक विज्ञान (Every Day Science)

1 Physical and chemical reactions, oxidation and reduction reactions, metals and non – metals. Hydro – carbons, Chloro – Fluro Carbon (CFC) Compressed Natural Gas (CNG), Soap and Detergent Pesticides, Reflection of light and its laws, examples of refraction, types of Lenses, Defects of vision and their corrections.

2 Electric current, Unit of electric current, Electric cell, Electric generator, Electric connection arrangement in house. Working of house – hold electrical appliances. Uses of space science, Remote Sensing Technique and its uses. Information Technology.

3 Environment – Components (Atmosphere, Lithosphere and Hydrosphere), Ecosystem – structure. Food – chain, Food – web, Nitrogen cycle. General information about – Bio – technology, Bio – patents, Stem cell, Cloning, Test Tube baby, Artificial insemination.

4 Apiculture, Seri – Culture, Fishery, Poultry, Dairy industry, Cereals, Pulses, Vegetables, Fruits, Medicinal Plants. Blood group, Blood transfusion, Rh factor, Pollution and human health, Pathogen & human health, Intoxicant and human health, Mal – nutrition & human health.

5 Immunity, Vaccination, Types of diseases, Hereditary disease – Hemophilia, Colour blindness, Thalasemia, National Health Programme, Manures – Bio – manure, Vermi compost. Crop rotation, Plant disease control.

RajKaj Ref
12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

5. गणित (Mathematics)

1. Natural numbers, rational and irrational numbers and their decimal expansions, operations on real numbers, laws of exponents for real numbers, rational numbers and their decimal expansions.
2. Ratio and proportion, percentage, Profit and loss, simple and compound interest, time and distance, time and speed, work and time.
3. Collection of data, presentation of data, graphical representation of data, measure of central tendency, mean, mode, median of ungrouped & grouped data.

6. कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त (Basics of Computer)

1. Introduction to Computer & Windows: Input/output Devices, Memory PORTs, Windows Explorer Menu, Managing Files & Folders, Setup & Accessories, Formatting, Creating CD/DVD.
2. Word Processing & Presentations: Menu Bars, Managing Documents & Presentations, Text Formatting, Table Manipulations, Slide Designs, Animations, Page Layout, Printing.
3. Spread Sheets: Excel Menu Bar, Entering Data, Basic Formula` & Inbuilt Functions, Cell & Text Formatting, Navigating, Charts, Page Setup, Printing, Spread Sheets for Accounting.
4. Working with Internet and e – mails: Web Browsing & Searching, Downloading & Uploading, Managing an E – mail Account, e – Banking.

7. BOOK – KEEPING AND ACCOUNTANCY

1. Accounting – meaning, nature, functions and usefulness, types of accounting, accounting equation, generally accepted accounting principles, concept and conventions.
2. Accounting process: journals and ledger leading to preparation of trial balance and preparation of final accounts with adjustments.
3. Preparation of bank reconciliation statement.
4. Rectification of errors.
5. Accounting for depreciation – need, significance and methods of providing depreciation.
6. Receipts and Payments account and income and expenditure account and balance sheet.
7. Single entry system – Preparation of accounts from incomplete records.
8. Partnership accounts:
   (i) Fundamentals – capital – fixed and fluctuating, adjustments for change in profit sharing ratios, revaluation of assets and treatment of goodwill.
   (ii) Reconstitution of the firm – Admission, Retirement and Death of a partner including treatment of life policy.
9. Insurance claims.

8. – BUSINESS METHODS

RajKaj Ref
12373314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

1. Business: Introduction, scope and objectives ; Business Ethics and social responsibilities of business.
2. Forms of Business Organizations :- Sole proprietorship, Partnership and Company.
3. Entrepreneurship:- Concept, Importance and causes of low development of entrepreneurship in India.
4. Negotiable Instruments :- Meaning and types (Promissory note, bills of exchange and Cheques).
5. Sources of Business finance.
6. Advertising : Meaning, Importance and methods.
7. Consumer Rights and Protection against exploitation.
8. Human resource planning, recruitment, selection and training.
9. Communication - Process, barriers and suggestions to overcome barriers.
10. Discipline : Causes and suggestions for effective discipline.
11. Coordination :- Importance and Principles.

9. – AUDITING

1. Auditing: meaning, objectives, types of audit, planning and procedures, audit programme, working papers, test checking, routine checking.
2. Vouching: concepts importance and procedures.
3. Internal Control: meaning, objectives, internal check and internal audit.
4. Valuation and verification of assets and liabilities.
5. Rights, Duties and Liabilities of Company Auditor.
6. Audit of Government Companies.
7. Audit Reports and Audit Certificates.

10. – INDIAN ECONOMICS

1. Indian Economy - Features and Problems, Economic policy, Industrial policy and fiscal policy of India.
2. Meaning, objectives and importance of economic planning in India. Basic features of eleventh five year plan.
3. Population Explosion Causes, effects and remedies. Relation between population and economic growth.
4. Role and significance of agriculture in Indian economy. Sources of agriculture finance and recent trends in agriculture marketing.
5. Industrial growth and prospects in India.
6. Inflation - Causes, effects and remedies. .
7. Role and problems of public sector in India.
8. Impact of globalization and liberalization of agriculture and industry.
9. Role of Multi - national corporations in Indian economy.
10. Foreign Trade - Volume, composition and direction.
11. National Income - Concept, computation methods and distribution.
12. Economy of Rajasthan - Basic features, development and prospects of agriculture.

RajKaj Ref
12372314
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved

industry and tourism.
11 – Rajasthan Service Rules Vol. 1 (Chapter II, III, X, XI, XIII, XIV, XV & XVI) Rajasthan Civil Service Joining Times Rules, 1981.
12. – G.F. & A.R. – Pt. 1 (Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 & 17)
13. - RTPP Act- 2012 and RTPP Rules 2013

–

*****

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये है :–

1. **प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेगें। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।**
   Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. **प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।**
   It is mandatory to fill only one of the options for each question.
3. **यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेगें।**
   If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkend, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. **प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिशिचित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।**
   After solving question paper, candidate must ascertain that he\she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. **जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नो को किन्ही पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।**
   A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualifed.

22. बोर्ड की वेबसाईटः–अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाईट http://rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. बी.सी. बधाल)
सचिव

RajKaj Ref
12373314

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:57:07 IST
Reason: Approved